

24.9.25

प्रातली पेश हुई। प्राधी अधिवक्ता अनुपस्थित।
प्रकरण लम्बे समय से नामिल हेतु नित हो। प्राधी प्राधि
के कई बार भावजे लगवाई गई, बावजूद इसके कोई
उपस्थित नहीं हुआ है। प्रकरण का मूल बाद अदम हाजरी
अदम पैसी में खारिज हो चुका है। जिससे इस प्रकरण
में अब कोई कार्यवाही शक नहीं रहती है।

अतः-प्राधीन पर इली स्तर पर अदम हाजरी- अदम
पैसी में आदेश 9 नियम 8 के तहत खारिज किया जा रहा है।
निर्णय सैर इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैलल शुमार
द्वारक नम्बर से रूप है।

(अबुला साई कृष्ण)

IAS